संख्या-15/2024/001-53-22-4-2024-1770791

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष-2023-24 में डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान (जे०टी०एस०) में विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षण में आने वाले उच्चाधिकारियों के आवासीय सुविधा हेतु ट्राजिंट हास्टल मय मेस किचन व कान्फ्रेन्स हॉल सहित का निर्माण (12 क्षमता) हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1527/नम-3/कार्य योजना/2023-24, दिनांक-15-01-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान (जे०टी०एस०) में विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षण में आने वाले उच्चाधिकारियों के आवासीय सुविधा हेतु ट्राजिंट हास्टल मय मेस किचन व कान्फ्रेन्स हॉल सहित का निर्माण (12 क्षमता) हेतु धनराशि रू0 668.30 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि **रू0 334.15 लाख (रू0 तीन करोड़ चौतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	लागत की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की जाने वाली की धनराशि (50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान (जे0टी0एस0)	विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षण में आने वाले उच्चाधिकारियों के आवासीय सुविधा हेतु ट्राजिंट हास्टल मय मेस किचन व कान्फ्रेन्स हॉल सहित का निर्माण (12 क्षमता)	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	668.30	334.15
योग-				668.30	334.15

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी०पी०आर) में दरें उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-272 कैम्प / मु०अभि० (भवन) / 2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-294 कैम्प / मु0अभि० (भवन) / 2023, दिनांक 26 अक्टूबर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2023 के द्वारा डी०एस०आर० की दरों में फैक्टर / कास्ट इन्डेक्स का समावेश किये जाने एवं कतिपय कार्यमदें वर्तमान बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयी हैं। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत महानिरीक्षक कारागार/ कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप हैं।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। महानिरीक्षक कारागार द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदें यथाः- लाइट फिटिंग्स एवं फिक्चर्स, वी०आ०वी०/वी०आर०एफ० सिस्टम व सोलर बैकअप आदि में दरें कोटेशन / बाजर दर/पिलन्थ एरिया दर सी०पी०डब्लू०डी०-2023 पर प्रस्तावित की गयी हैं, को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। महानिरीक्षक कारागार /कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत प्रायोजना में वी०आर०वी०/वी०आर०एफ० सिस्टम (76 एच०पी०) क्षमता का प्रावधान किया गया है। भवन में 76 एच०पी० क्षमता के वी०आर०वी०/वी०आर०एफ० सिस्टम की आवश्यकता की गणना कराने के पश्चात ही वी०आर०वी० सिस्टम की स्थापना का कार्य कराया जाए।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव में फर्नीचर कार्य हेतु- रू0 78.28 लाख की लागत को व्यय वित्त समिति के निर्देशानुसार प्रभाग द्वारा अनुमन्य नहीं किया गया है। महानिरीक्षक कारागार द्वारा इस कार्य हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(10) प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। महानिरीक्षक कारागार द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा ।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(16) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/ क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पीएफएडी के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा ।

(17) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा । महानिरीक्षक कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के शासनादेश दि0 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(18) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(19) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा ।

(20) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 तथा यथासंशोधित में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26-08-2014 एवं दि0 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(21) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा ।

(22) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शा0दि0 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।

(23) महानिरीक्षक कारागार द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए । कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

(24) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(25) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें । चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है ।

(26) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए ।

(27) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश सं0-01 /2023/ ए-2-60 /दस-2023-17 (4)/ 75 दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(28) महानिरीक्षक कारागार द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(29) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाएगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,34,15,000 (रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख पंद्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001200 कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-480-X-2023-24-दिनांक:19-02-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2024/001-53-22-4-2024-1770791, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स, कारपोरेशन लि0 ।
(4) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5) उप महानिरीक्षक, डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान (जे0टी0एस0)।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यलय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://s

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।